17/6/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभ० पक्ष उप.। चार वारी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया डिक्री पृथक से बने। GCMS 2014/00186

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 178 दायर दिनांक : 30.09.2014

बलु पुत्र हरभज जाति सांसी निवासी डबली बास तहसील व जिला हनुमानगढ़ वर्तमान निवासी चक 2 एल.एम. सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह जाति रायसिख निवासी (1) चक 67 एल. एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, (2) चक 2 एल.एम. सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व (3) वार्ड नं. 22, खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर (फौत)

1/1. मायादेवी पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह		
1/2. प्रेम सिंह	पुत्रगण व पुत्रीयां स्व. महेन्द्र सिंह	अकवाम रायसिख निवासी वार्ड नं. 22 खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर
1/3. अमरजीत सिंह		
1/4. मलकीत कौर		
1/5. हरबंस सिंह		
1/6. सीमा		

2. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 17.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को राजस्थान का सन् 1955 से पूर्व का निवासी व भूमिहीन एवं काश्तकार होने से चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 222/17 (18) किला नं. 1 से 10, 14, 16, 17, 23/2, 24/2, 25/2 = 15.08 बीघा व पत्थर नं. 222/25 (18) के किला नं. 19, 20, 21, 22 = 3.12 बीघा, कुल 19 बीघा रकबा आवंटित किया

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

गया था, जिसकी समस्त किस्तें जमा करवाने के पश्चात् उक्त रकबा की वादी के नाम खातेदारी सनद सं. 71873 दिनांक 18.09.1999 को जारी की गई। वर्तमान में उक्त रकबा वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 73/63 में वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिस पर वादी का आवंटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की भूमि को हड़पने के लिए प्रतिवादी सं. 1 ने सरकार आपके द्वार अभियान में गलत तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चक 2 एल.एम. के पत्थर नं. 222/17 की 15.08 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का आदेश प्रशासन से प्राप्त कर लिया व उसकी आड़ में प्रतिवादी सं. 2 से उक्त रकबा अपने नाम दर्ज करवाने एवं वादी को जबरन बेदखल करने की कोशिश में है। अगर प्रतिवादी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व मौके पर कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 03.03.2014 को चक 10 जी.एम. का यही पत्थर बतलाकर आदेश करवाकर उसकी आड़ में वादी के रकबा को अपने नाम दर्ज करवाने की कोशिश में है, इसलिए वादी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 73/63 के पत्थर नं. 222/17 (17) की 3.895 है0 भूमि को प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज नहीं करने एवं वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। वाद के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 चक 2 एम.एल. खाता सं. 73/63, नकल पत्रावली सं. 316/75 निर्णय दिनांक 24.09.75 अनवान बलू पुत्र हरभज, नकल सेल रजिस्टर चक 2 एल.एम. बलू पुत्र हरभज सांसी, नकल खातेदारी सनद सं. 71783 दिनांक 18 सितम्बर 1996, नकल मि.नं. 155/2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर निर्णय दिनांक 03.03.2014 आदि की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित पेश कर वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 को पुख्ता आवंटन है व कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादी अन्य भूमि चक

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

17 जी.एम. के पत्थर नं. 123/19 में 19 बीघा आवंटन करवाकर काश्त कर रहा है। वादी गलत साक्ष्य व अपने नाम के झूठे दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रतिवादी की आवंटित भूमि हड़पना चाहता है, इसलिए वादी का वाद झूठे तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त करने का निवेदन किया। जवाबदावा के साथ बालूराम वल्द हरभजन सांसी खातेदार के नाम अंकित चक 17 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 खाता सं. 63/47 की चित्रप्रति, आवंटन आदेश मि.नं. 42/2 निर्णय दिनांक 01.07.1981 महेन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह, फर्द अहकाम मि.सं. 82/2/75, चालान, आवंटन आदेश बालूराम पुत्र हरभजन जाति सांसी चक 17 जी.एम. पत्थर नं. 123/19 किला नं. 7 से 25 आदि की चित्रप्रतियां पेश की।

वादी ने जरिये अभिभाषक जबाबुल जबाब पेश कर जवाबदावा में अंकित तथ्यों को प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर गलत अंकित किया जाना बताया, जिन्हें अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि पत्थर नं. 222/17 किला नं. 1 से 10, 14, 16, 17, 23/2, 24/2, 25/2 = 3.895 है0 (3.795 है0 कमाण्ड व 0.100 है0 खाला) व पत्थर नं. 222/25 किला नं. 19 से 20, 21, 22 = 0.910 है0, कुल 4.805 है0 (4.705 है0 कमाण्ड व 0.100 है0 खाला) खातेदारी रकबा वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित चला आ रहा है, जिस पर वादी का आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस पर प्रतिवादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। वादी का नाम बलू पुत्र हरभज पुत्र लालू जाति सांसी सा. डबलीबास चुगता है, जबकि इसी नाम का बालू पुत्र हरभज पुत्र टीकू सा. डबलीबास सरदारा नाम का व्यक्ति है जो कि अलग है, जिसका रकबा चक 17 जी.एम. पत्थर नं. 123/19 किला नं. 7 से 25 में 4.807 है0 दर्ज है। इसी नाम का फायदा उठाते हुए वह प्रतिवादी के साथ मिलकर तंग व परेशान कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित चक 10 जी.एम. के पत्थर नं. 222/417 की 6.302 है0 भूमि, जो कि वास्तव में पत्थर नं. 223/17 किला नं. 1 से 25 की होनी चाहिए, वादी की भूमि को प्रतिवादी अपनी बताकर वादी को बेदखल करने के [illegible]सरत है, जो कि गलत व विधिविरुद्ध है, इसलिए प्र[illegible] जवाबदावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। ज[illegible]करण सं. 184/2014 प्रा.प. 212 आर.टी.ए. अनवान बलु बनाम महेन्द्र सिंह [illegible]य दिनांक 30.10.2015,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: Self Attested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रिपोर्ट नायब तहसीलदार सूरतगढ़ मय मौका रिपोर्ट दिनांक 14.09.2015 व 12.09.2015 की प्रमाणित प्रतियां पेश की।

जबाबुल जबाब प्राप्त होने के पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित चक 2 एल.एम. तह. सूरतगढ़ के प.नं. 222/17 (17) की कुल 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी एवं वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि को रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज करने तथा वादी के कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग में बाधा डालने और जबरन, खिलाफ कानून बेदखल करने से बाज व ममनू रहे की चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? (वादी)
2. आया जैरवाद भूमि चक 2 एल.एम. प.नं. 222/17 (17) की 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला प्रतिवादी सं. 1 के नाम से आवंटन होने एवं कब्जा काश्त में चली के कारण प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध वादी अन्तर्गत धारा 188 व 209 आर.टी.ए. के तहत किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं है ? (प्रतिवादी)
3. अनुतोष।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

दौराने वाद प्रेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह द्वारा जरिये अभिभाषक श्री भागीरथ बिश्नोई वकालतनामा मय प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र सिंह के फौत होने की सूचना दी एवं उसका मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया। अभिभाषक वादी द्वारा वारिस प्रमाण–पत्र अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। महेन्द्र सिंह के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाने पर अभिभाषक वादी द्वारा वारिसान को पक्षकार सं. 1/1 से 1/6 संयोजित कर संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 को जरिये साधारण व रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया व जवाबदावा प्राप्त किया गया। अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 द्वारा कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाबदावा प्रतिवादीगण बन्द किया जाकर साक्ष्य लिये गये।

साक्ष्य में वादी ने अपने बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वकील प्रतिवादी सं. 1 द्वारा समायत की गई। वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता, इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये गये, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1 बन्द किये जाकर बहस सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक वादी ने माननीय न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर अपील सं. 65/2023 अनवान बलु बनाम महेन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 03.07.2024 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र व जबाबबुल जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की ओर अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि जैरवाद वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता सं. 73/63 के पत्थर नं. 222/17 (17) के किला नं. 1 से 10, 14, 16, 17, 23/2, 24/2, 25/2 = 3.895 है0 व पत्थर नं. 222/25 (18) के किला नं. 19, 20, 21/2, 22/2 = 0.910 है0, कुल 4.805 है0 (4.705 है0 कमाण्ड व 0.100 है0 खाला) वादी का खातेदारी रकबा है। वादी को उक्त रकबा राजस्थान का सन् 1955 से पूर्व का निवासी व भूमिहीन एवं काश्तकार पेशा होने से आवंटित हुआ, जिसकी समस्त किस्तें जमा करवाये जाने पर वादी के नाम खातेदारी सनद सं. 71873 दिनांक 18.09.1999 को जारी की गई। इस पर प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 के पति/पिता महेन्द्र सिंह का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र सिंह ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष बलू पुत्र हरभज पुत्र लालू निवासी 17 जी.एम. गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर के विरुद्ध प्रार्थना–पत्र सं. 155/2014 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट व 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर चक 10 जी.एम. के पत्थर नं. 222/17 के किला नं. 1 से 25 की 25 बीघा भूमि मि. नं. 4212 निर्णय दिनांक 01.07.1981 के द्वारा आवंटन होना बताया व जमाबन्दी बनाते समय यह रकबा बलू पुत्र हरभज सांसी के नाम सहवन से अंकित कर दिया, जिसे हटाकर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम अंकित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2014 के द्वारा स्वीकार कर कार्यालय रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रकबा बलू पुत्र हरभज जाति सांसी के नाम से हटाते हुए आवंटन अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश की आड़ में प्रतिवादी सं. 1 वादी के रकबा को अपने नाम दर्ज करवाने की कोशिश में है। वादी का नाम बलू पुत्र हरभज पुत्र लालू जाति सांसी सा. डबलीबास चुगता है, जबकि इसी नाम का बालू पुत्र हरभज पुत्र टीकू सा. डबलीबास सरदारा नाम का व्यक्ति है जो कि अलग है। प्रतिवादी जिस चक 17 जी.एम. के पत्थर नं. 123/19 में 19 बीघा रकबा को वादी का आवंटनशुदा रकबा व उस पर वादी को काबिज बता रहा है, वह वादी का न होकर दूसरे व्यक्ति बालू पुत्र हरभज पुत्र टीकू का है, वादी का उस पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। इसी नाम का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम अंकित चक 10 जी.एम. के पत्थर नं. 222/17 की 25 बीघा भूमि, जो कि नायब तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक वास्तव में पत्थर नं. 223/17 की होनी चाहिए, वादी की भूमि को प्रतिवादी अपनी बताकर तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने और वादी को जबरन बेदखल करने के लिए प्रयासरत है, जो कि गलत व विधिविरुद्ध है। वादी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 03.03.2014 के विरुद्ध माननीय न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर में अपील सं. 65/2023 प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 03.07.2024 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 03.03.2014 को विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया है। अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 222/17 (17) के किला नं. 1 से 10, 14, 16, 17, 23/2, 24/2, 25/2 = 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करने व उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र सिंह या उसके वारिसान के नाम दर्ज नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 ने जवाब दावा में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत अंकित तथ्यों को दोहराया और वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैरवाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 महेन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह को पुख्ता आवंटित है। वादी को चक 17 जी.एम. के पत्थर नं. 123/19 में 19 बीघा भूमि [illegible] है, जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी झूठे दस्तावेज [तैयार] कर प्रतिवादी की आवंटित भूमि को हड़पना चाहता है, इसलिए वाद [illegible] झूठे तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:36:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 7 पर

राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

बहस सुनने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी सं. (1) – <u>आया वादी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित चक 2 .एल.एम. तह. सूरतगढ़ के प.नं. 222/17 (17) की कुल 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी एवं वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि को रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज करने तथा वादी के कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग में बाधा डालने और जबरन, खिलाफ कानून बेदखल करने से बाज व ममनू रहे की चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने वाद के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श PW-1 से 10 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 चक 2 एम.एल. खाता सं. 73/63, नकल आवंटन पत्रावली सं. 316/75 निर्णय दिनांक 24.09.75 अनवान बलू पुत्र हरभज, नकल सेल रजिस्टर, खातेदारी सनद सं. 71783 दिनांक 18 सितम्बर 1996, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा मि.नं. 155/14 में पारित निर्णय और सम्पूर्ण मिसल माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा प्रकरण सं. 184/2014 प्रा.प. 212 आर.टी.ए. अनवान बलु बनाम महेन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 30.10.2015, रिपोर्ट नायब तहसीलदार सूरतगढ़ मय मौका रिपोर्ट दिनांक 14.09. 2015 व 12.09.2015 की प्रमाणित प्रतियां एवं माननीय न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर अपील सं. 65/2023 अनवान बलु बनाम महेन्द्र सिंह निर्णय दिनांक 03.07.2024, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 03.03.2014 को निरस्त किया गया है, की प्रमाणित प्रति तथा स्वयं के बयान शपथ–पत्र से चक 2 एल.एम. तह. सूरतगढ़ के प.नं. 222/17 (17) की कुल 3. 895 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि का स्वयं को रिकॉर्डेड टिनेंट व इस पर आवंटन से लेकर आज तक काबि[illegible] होना सिद्ध किया गया है। प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 के [illegible] नहीं करवाये गये हैं और ना ही वादी की भूमि पर अपना किसी प्रकार से कब्जा होना साबित कर पाये हैं। वादी द्वारा उसकी भूमि पर [illegible]रन प्रतिवादी द्वारा कब्जा करने और रिकॉर्ड में उसकी भूमि को अपने नाम से अंकन करवाने का गलत/अविधिक तरीके से जबरन कब्जा करने को प्रयासरत होना साबित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 8 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जा चुका है, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है। तनकी सं. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी सं. (2) – <u>आया जैरवाद भूमि चक 2 एल.एम. प.नं. 222/17 (17) की 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला प्रतिवादी सं. 1 के नाम से आवंटन होने एवं कब्जा काश्त में चली के कारण प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध वादी अन्तर्गत धारा 188 व 209 आर.टी.ए. के तहत किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं है ?</u> (प्रतिवादी सं. 1)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 के द्वारा इस तनकी को अपने द्वारा किसी भी तथ्य और अपने व गवाहों के और दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा पेश ना कर इसे साबित करने में असफल रहे हैं तथा ना ही दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रदर्श अंकित करवाये गये हैं, जिससे प्रतिवादी सं. 1 को चक 2 एल.एम. के पत्थर नं. 222/17 (17) की 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि आवंटन होना और उस पर काबिज काश्त होना सिद्ध होता हो। जैरवाद भूमि के सम्बन्ध में तनकी सं. 1 बहक वादी निर्णित की जा चुकी है। प्रतिवादीगण के साक्ष्य के अभाव में यह तनकी सं. 2 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी सं. 1 बहक वादी व तनकी सं. 2 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जा चुकी है। वादी ने वाद को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। वाद वादी स्वीकार किये जाने से राज्य सरकार के हित भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 222/17 (17) के किला नं. 1 से 10, 14, 16, 17, 23/2, 24/2, 25/2 = 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि के वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें और वादी की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम से दर्ज ना करें। [illegible] हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 17.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

बलु पुत्र हरभज जाति सांसी निवासी डबली बास तहसील व जिला हनुमानगढ़ वर्तमान निवासी चक 2 एल.एम. सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर –वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह जाति रायसिख निवासी (1) चक 67 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, (2) चक 2 एल.एम. सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व (3) वार्ड नं. 22, खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर (फौत)

1/1. मायादेवी पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह
1/2. प्रेम सिंह
1/3. अमरजीत सिंह
1/4. मलकीत कौर
1/5. हरबंस सिंह
1/6. सीमा

(1/2 से 1/6) पुत्रगण व पुत्रीयां स्व. महेन्द्र सिंह

(1/1 से 1/6) अकवाम रायसिख निवासी वार्ड नं. 22 खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर

2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 178 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 श्री भागीरथ बिश्नोई एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 222/17 (17) के किला नं. 1 से 10, 14, 16, 17, 23/2, 24/2, 25/2 = 3.895 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि के वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें और वादी की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम से दर्ज ना करें।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17.06.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)